

संख्या ए-49012/8/2023/आरटीआई/1219-22

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
आरटीआई सेल

5वीं मंजिल (एन), सीडब्ल्यूसी
सेवा भवन, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066

दिनांक: 01.08.2023

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई आवेदन श्री अश्वनी कुमार, मकान नं0278, गली नं03, ब्लॉक-ए, पार्ट-जीरो/प्रथम पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली, पिन-110090।

उपरोक्त आरटीआई आवेदन की प्रति संख्या EEIV/RTI/ID21(CDIV)/2023-24/3305 दिनांक 25/07/2023 (कार्यालय में प्राप्त दिनांक 03/08/2023) को RTI अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आपको अग्रेषित किया जाता है।

आपसे अनुरोध है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को सीधे वांछित जानकारी प्रदान करें। यदि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी किसी अन्य सीपीआईओ या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग (विभागों), से संबंधित है तो यह आवेदन उन्हें आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

अनुलग्नक:- उपरोक्त के अनुसार

रीटा
03/08/2023
(रीटा अंगरीश)

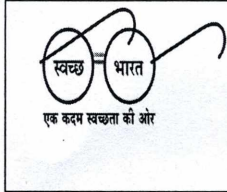
For उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी
दूरभाष: 011-2958 3304

सेवा में,

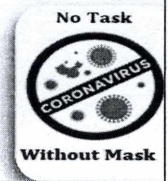
1. निदेशक और सीपीआईओ, (अभिकल्प एवं अनुसंधान समन्वय निदेशालय), केन्द्रीय जल आयोग, दूसरा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली। (e-mail- drcdte@nic.in)
2. निर्देशक और सीपीआईओ, (जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय), केन्द्रीय जल आयोग, तीसरा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली (e-mail-wppcdte@nic.in)
3. उप निदेशक-2 और सीपीआईओ, (नदी प्रबन्ध समन्वय निदेशालय), केन्द्रीय जल आयोग, दूसरा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली (e-mail-rmdte@nic.com)

प्रतिलिपि:

श्री अश्वनी कुमार, मकान नं0278, गली नं03, ब्लॉक-ए, पार्ट-जीरो/प्रथम पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली, पिन-110090।



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER: CIVIL DIVISION-IV
IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPTT., GOVT. OF NCT OF DELHI,
L. M. BUND OFFICE COMPLEX, SHASTRI NAGAR, DELHI -110031
Ph.-011-21210859 Email : ifccdiv@gmail.com



No. EEIV/RTI/ID 21(CDIV)/2023-24 / 3305

Dated: 25/7/23

To

1	The PIO/Executive Engineer, UC, DSIIDC, Plot No.74A, Ring Road, Lajpat Nagar-III New Delhi
2	The PIO, Revenue Department office of Divisional Commissioner Nand nagari Delhi.
3	The PIO Central Water Commission 3 rd floor Room No.313-S, Sewa Bhawan South Sector-1 R.K. Puram New Delhi 110066

Sub:-

Transfer of application (ID No.21/23-24CDIV I&FC) received from Sh. Ashwini Kumar, House No.278, Gali No.3, Block-A, part-1, Zero/First Pusta ,Sonia Vihar Delhi 110090 sub section (3) of Section of 6 Right to Information Act-2005.

Sir,

1. The undersigned has received the above RTI application on dated 05/7/2023 under RTI Act 2005.
2. The requisite information point no.3 to 9 does not fall within my jurisdiction
3. The application is therefore being transferred to you under sub section (3) of section 6 of RTI Act 2005 for further necessary action.
4. You are requested to send the information directly to the applicant as per his address. In case it does not fall under your jurisdiction it may please be further transferred to the Public Authority to which the subject matter is more closely connected, directly under intimation to the applicant.
5. The applicant has deposited fees of Rs.10/- vide postal order No.57F 451391.

Encl: As above

Yours faithfully,

SUDHEER KUMAR ARYA
EXECUTIVE ENGINEER:CDIV/PIO

No. EEIV/RTI/ID 06(CDIV)/2023-24 /

Dated:

Copy alongwith enclosure forwarded for information to:-

1. Nodal Officer (RTI) office of Chief Engineer(I&FC) Govt. of NCT of Delhi.
2. Superintending Engineer, Flood Circle-I Govt. of NCT of Delhi.
3. Sh. Ashwini Kumar, House No.278, Gali No.3, Block-A, part-1, Zero/First Pusta ,Sonia Vihar Delhi 110090.

EXECUTIVE ENGINEER:CDIV/PIO

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
दिल्ली

P & D (I & FC)

Diary No. 946

Date. 26-6-23

63-7-23

विषय :- नानकसर से ट्रोनिका सिटी एवं शास्त्रीपार्क खजूरी, के बीच बने मार्जिनल बाँध एवं इन दोनों बाँध के बीच के क्षेत्र में बसी कॉलोना के संदर्भ में जानकारी।

महोदय,

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, मैं नानकसर से ट्रोनिका सिटी के बीच बने मार्जिनल बाँध, शास्त्रीपार्क खजूरी दिल्ली से अंकुर विहार युपी के बीच बने बाँध और सोनिया विहार के ब्लॉक A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B, C, D, E-1, E-2, E-2(Shivaji Mohala), E-3, E-4, E-5, G-1, G-2, Sonia Vihar Extension जो, अनुमानतः सादतपुर गुजरान, सादतपुर मुस्लमान, बिहारीपुर, सभापुर शेरपुर आदि गांवों की कृषि भूमि ब्लॉक/तहशील करावल नगर, जिला उत्तर-पूर्व, दिल्ली में बसा है, के संदर्भ में आपसे निम्न सूचना प्रदान करने का अनुरोध कर रहा हूँ।

1. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के रिकार्ड के अनुसार, नानकसर, दिल्ली से चौहानपट्टी दिल्ली/ ट्रोनिका सिटी दिल्ली के बीच बने मार्जिनल बाँध का

- निर्माण कब हुआ और उसकी चौड़ाई कब-कब बढ़ाई गयी।
- निर्माण के समय इसकी चौड़ाई कितनी थी और प्रत्येक बार बढ़ाने पर बाँध की चौड़ाई बढ़ कर कितनी-कितनी हुई और वर्तमान में कितनी है।
- निर्माण के समय इसकी ऊंचाई कितनी थी और प्रत्येक बार बढ़ाने पर इसकी ऊंचाई कितनी-कितनी बढ़ी और वर्तमान में कितनी है।
- इस बाँध पर सड़क का निर्माण किस वर्ष हुआ और और प्रत्येक बार बढ़ाने पर सड़क की चौड़ाई कितनी-कितनी बढ़ी और वर्तमान में कितनी है।
- यदि निकट भविष्य में बाँध और सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने की योजना हो तो उसकी सूचना भी प्रदान करें।
- यदि वर्तमान में नागरिक संगठनों द्वारा इस बाँध पर बनी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की मांग की गयी है तो, इस तरह की मांग का विवरण दें तथा 1 अप्रैल 2021 से अब तक इस मांग को लेकर कितने ज्ञापन आये हैं और मांग करने

2. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के रिकार्ड के अनुसार, शास्त्री पार्क खजूरी दिल्ली से अंकुर विहार के बीच बने बाँध का :-

- निर्माण कब हुआ और उसकी चौड़ाई कब-कब बढ़ाई गयी।
- निर्माण के समय इसकी चौड़ाई कितनी थी और प्रत्येक बार बढ़ाने पर बाँध की चौड़ाई बढ़ कर कितनी-कितनी हुई और वर्तमान में कितनी है।
- निर्माण के समय इसकी ऊंचाई कितनी थी और प्रत्येक बार बढ़ाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ कर कितनी-कितनी हुई और वर्तमान में कितनी है।
- इस बाँध पर सड़क का निर्माण किस वर्ष हुआ और और प्रत्येक बार बढ़ाने पर सड़क की चौड़ाई कितनी-कितनी बढ़ी और वर्तमान में कितनी है।

3. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के रिकार्ड के अनुसार, सोनिया विहार के ब्लॉक A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B, C, D, E-1, E-2, E-2(Shivaji Mohala), E-3, E-4, E-5, G-1, G-2, Sonia Vihar Extension जो, अनुमानतः सादतपुर गुजरान, सादतपुर मुस्लमान, बिहारीपुर, सभापुर आदि गांवों की कृषि भूमि ब्लॉक/तहशील करावल नगर, जिला उत्तर-पूर्व, दिल्ली में बसा है, इस पूरे सोनिया विहार में से कौन-कौन सा इलाका बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के रिकार्ड के अनुसार, सोनिया विहार के ब्लॉक A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B, C, D, E-1, E-2, E-2(Shivaji Mohala), E-3, E-4, E-5, G-1, G-2, Sonia Vihar

Forward to
RECCD

80 to SE(FC-I)/PEO

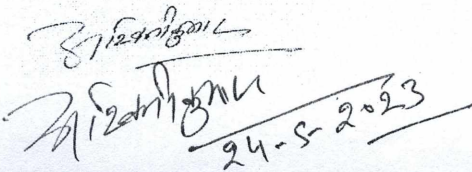
1568
03/7/23

- Extension जो, अनुमानतः सादतपुर गुजरान, सादतपुर मुस्लमान, बिहारीपुर, सभापुर आदि गांवों की कृषि भूमि ब्लॉक/तहशील करावल नगर, जिला उत्तर-पूर्व, दिल्ली में बसा है, की जीन-जीन गलियों और नालियों के निर्माण और रख-रखाव की जिम्मेदारी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास है, उसकी सूचना प्रदान करें।
5. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के रिकार्ड के अनुसार, सोनिया विहार के ब्लॉक A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B, C, D, E-1, E-2, E-2(Shivaji Mohala), E-3, E-4, E-5, G-1, G-2, Sonia Vihar Extension जो, अनुमानतः सादतपुर गुजरान, सादतपुर मुस्लमान, बिहारीपुर, सभापुर आदि गांवों की कृषि भूमि ब्लॉक/तहशील करावल नगर, जिला उत्तर-पूर्व, दिल्ली में बसा है, सोनिया विहार क्षेत्र के पूर्ववर्ती गांवों में से कितने गांवों के ग्रामीणों को 1960-65 के दशक के मध्य और 1978 में शास्त्रीपार्क-खजूरी-अंकुर विहार के पूर्वी तरफ अलग से जमीन देकर बसाया गया है।
6. यदि सवाल संख्या 5 के, उन किसानों की जमीनों का जो इन दोनों बांधों के बीच आती हैं, का अधिग्रहण बाढ़ विभाग द्वारा किया गया हो तो उसकी भी जानकारी प्रदान करें।
7. 1955 से 2022 तक प्रतिवर्ष दिल्ली की तरफ यमुना नदी में ताजेवाला बराज एवं हथिनीकुंड बराज से छोड़े जाने वाले पानी की जानकारी प्रदान करें।
8. 1955 से 2022 तक दिल्ली को ताजेवाला बराज एवं हथिनीकुंड बराज से वर्ष के उस माह की जानकारी, उस माह छोड़े गये पानी की मात्रा के साथ बताएं जिस माह में अधिकतम और न्यूनतम पानी दिल्ली की तरफ यमुना में छोड़ा गया हो।
9. 1955 से 2022 तक प्रतिवर्ष दिल्ली की तरफ यमुना नदी में ताजेवाला बराज एवं हथिनीकुंड बराज से छोड़े जाने वाले पानी और नहरों के माध्यम से हरियाणा और युपी आदि को दिये जाने वाले पानी का अनुपात बताएं।

नोट :-

- 1) यदि मांगे गये वर्ष के आकड़े उपलब्ध न हो तो, उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए निकटतम वर्ष के आकड़े उपलब्ध करवायें।
- 2) निम्न जानकारीयां अनुसंधान उद्देश्य के लिए चाहिए। अतः इन जानकारीयों को उपलब्ध करवाने का कष्ट कर, अनुसंधान में सहयोग करें।
- 3) जो जानकारी बाढ़ विभाग, दिल्ली सरकार से संबंधित न हो उसे सूचना अधिकार अधिनियम(आर.टीआई.) 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग में स्थानांतरित कर, सूचनाओं की प्रति मुझे प्रदान करें।
- 4) कागजों और पत्राचार के व्यय को बचाने के लिए ashwini.on.research@gmail.com के माध्यम से भी जानकारी प्रेषित की जा सके तो, अति उत्तम।
- 5) कृपया विनम्रता पूर्वक विशेष आग्रह है कि जवाब देते वक्त या पत्र अग्रेषित करते वक्त पत्र का विषय परिवर्तित न करें। इस विषय पर पहले भेजे पत्र के पत्र संख्या 7,8,9 को संशोधित करते हुए, इस पत्र के साथ मर्ज कर लें।

इस आवेदन पत्र के साथ सूचना अधिकार अधिनियम शुल्क के रूप में 10 रु का पोस्टल आर्डर संख्या 576 451391 या विभागीय रसीद संख्या साथ संलग्न है।


24-5-2023

अश्विनी कुमार / Ashwini Kumar

Ph.D. Scholar, Department of Education, University of Delhi, Delhi 110007

Mobile No. 9643273515 Email Id : ashwini.on.research@gmail.com

Residential Address for Communication:

House No 278, Gali No. 3, Block-A, Part-1, Zero/First Pusta, Sonia Vihar, Delhi 110090

Note : - Use either email or Residencial Address for communication.